[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II के खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 38/2020-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, दिनाँक 21 अक्टूबर, 2020

सा.का.नि.....(अ).- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) (एतश्मिनपश्चात, जिसे उक्त अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए की ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, ऐसी वस्तुओं को जिनका आयात परिधानों तथा मेड-अप्स के निर्यात पर राज्य लेवी की छूट संबंधी योजना (एतश्मिनपश्चात, जिसे आरओएसएल स्कीम से संदर्भित किया गया है) के अंतर्गत क्षेत्रीय प्राधिकारी के द्वारा जारी किये गये शुल्क जमा स्क्रिप (एतश्मिनपश्चात, जिसे उक्त स्क्रिप से संदर्भित किया गया है) के एवज में भारत में आयात किया गया हो, को प्रक्रिया की पुस्तिका के पैराग्राफ 4.97 तथा 4.98 के साथ पठित विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.01(घ) के अनुसार छूट देती है-

(क) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिनपश्चात, जिसे उक्त अधिनियम सीमाशुल्क टैरिफ से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत उसपर लगाये जाने वाले संपूर्ण सीमाशुल्क से; और

(ख) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधार (1), (3) और (5) के अंतर्गत उसपर लगाये जाने वाले संपूर्ण अतिरिक्त शुल्क से।

2. उक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगी, यथा:-

(1) कि उक्त स्क्रिप में ड्यूटी क्रेडिट को –

(क) आरओएसएल स्कीम के अंतर्गत गारमेंट्स और मेड-अप्स (एतश्मिनपश्चात, जिसे उक्त माल से संदर्भित किया गया है) के ऐसे निर्यात के एवज में जारी किया गया हो जहां उक्त अधिनियम की धारा 51 के अंतर्गत निर्यात के लिए उक्त माल के निकासी एवं लदान के लिए जारी किया गया आदेश गारमेंट्स के मामले में 20 अक्टूबर, 2016 को या उसके बाद और मेड-अप्स के मामले में 23 मार्च, 2017 को या उसके बाद तथा उक्त माल के लिए 06 मार्च, 2019 तक के लिए जारी किया गया हो;

(ख) संबंधित दर और अधिकतम सीमा, जिसे वस्त्र मंत्रालय के द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो और उक्त अधिनियम की धारा 51 के अंतर्गत निर्यात के लिए माल के निकासी एवं लदान के आदेश के समय लागू हो, के अनुसार किये जाने वाले निर्यात के एवज में जारी किया गया हो;

(2) कि निर्यातकर्ता ने अन्य किसी व्यवस्था के अंतर्गत आरओएसएल स्कीम के तहत किसी क्रेडिट या छूट या रिफण्ड या छूट प्राप्त लेवी की वापसी का न तो दावा किया हो और न ही दावा करे;

(3) कि इस आरओएसएल स्कीम के अंतर्गत दी जाने वाली छूट विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के अंतर्गत अग्रिम प्राधिकार योजना के एवज में किये जाने वाले निर्यात पर लागू नहीं होगा;

(4) कि उक्त स्क्रिप उस पंजीकरण पत्तन के सीमाशुल्क प्राधिकारी के यहां पंजीकृत हो जिसका उल्लेख उस स्क्रिप में किया गया हो;

(5) कि उक्त स्क्रिप को उक्त माल की निकासी के दौरान उन पर लगाये जाने वाले शुल्क की डेबिट के समय यथोचित सीमाशुल्क अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा और उक्त सीमाशुल्क प्राधिकारी इस छूट के अंतर्गत पहले ही की गयी डेबिटों को और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 07/2020-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 21 अक्टूबर, 2020 के अंतर्गत की गयी डेबिटों को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करेगा कि उतने शुल्क की डेबिट की जाए जो अन्यथा उस माल पर उद्ग्रहणीय है;

(6) कि उक्त स्क्रिप और इसके एवज में आयात किया गया माल का मुक्त रूप से अंतरण किया जा सकेगा;

(7) कि जहां आयातकर्ता उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1), (3) और (5) के अंतर्गत लगाये जाने वाले अतिरिक्त सीमाशुल्क से छूट का दावा नहीं करता है तो उसके लिए यह माना जाएगा कि उसने उक्त अतिरिक्त सीमाशुल्क की गणना के उद्देश्य से उक्त शुल्क से छूट प्राप्त नहीं की है;

(8) कि आयातकर्ता उक्त स्क्रिप में डेबिट की गयी राशि के एवज में उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत लगाये जाने वाले सीमाशुल्क की प्रति अदायगी को प्राप्त करने का हकदार होगा;

(9) कि आयातकर्ता उक्त स्क्रिप में डेबिट की गयी राशि के एवज में सीमाशुल्क टैरिफ अधिनिम की धारा 3 की उपधारा (1), (3) और (5) के अंतर्गत लगाये जाने वाले अतिरिक्त शुल्क की प्रतिअदायगी या सेनवेट क्रेडिट को प्राप्त करने का हकदार होगा;

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य से, -

(क) "पूंजीगत माल" का वही अर्थ होगा जो इसके लिए विदेश व्यापार नीति पैराग्राफ 9.08 में दिया गया हो;

(ख) “विदेश व्यापार नीति" से अभिप्राय विदेश व्यापार नीति, 2015-2020, से है जिसका प्रकाशन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचना सं. 01/2015-20, दिनांक 01 अप्रैल, 2015, समय-समय पर यथा संशोधित, के तहत किया गया है;

(ग) “परिधानों” से अभिप्राय वही है जो इसके लिए वस्त्र मंत्रालय की अधिसूचना सं. 12020/03/2016-आईटी, दिनांक 12 अगस्त, 2016 में दिया गया है जिसके द्वारा परिधानों के निर्यात पर लगायी जाने वाली स्टेट लेवी से छूट की योजना को अधिसूचित किया गया था;

(घ) “मेड-अप्स” से अभिप्राय वही है जो इसके लिए वस्त्र मंत्रालय की अधिसूचना सं. 12015/47/2016-आईटी, दिनांक 03 जनवरी, 2017 में दिया गया है जिसके द्वारा मेड-अप्स के निर्यात पर लगायी जाने वाली स्टेट लेवी से छूट की योजना को अधिसूचित किया गया;

(ङ) "माल" से अभिप्राय किसी भी आगत या माल से है जिसमें पूंजीगत माल भी आता है;

(च) "क्षेत्रीय प्राधिकारी" से अभिप्राय विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 6 के अंतर्गत नियुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक से अथवा इस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकार पत्र जारी करने, जिसमें शुल्क जमा स्क्रिप भी आती है, के लिए प्राधिकृत किसी भी अधिकारी से है।

[फा.सं. 605/04/2019-डीबीके (खंड-I)]

(गोपाल कृष्ण झा)
निदेशक (ड्रॉबैक)